अपील सूचना अधिकार संख्या 92/2016 अनवानी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी, 13 मुकर्जी नगर, श्रीगंगानगर बनाम हरभजनसिंह जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30–08–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के अधीन पदस्थापित प्रवर्तन स्टाफ एवंम स्वयं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 20.04.2016 तक प्रदत निरीक्षण (किये गये निरीक्षण) मय दिनांक, मय जाचं रिपोर्ट दिनांक सहित एवम जाचं पर्यवेक्षक प्रपत्र दिनांक सहित।
2. उपरोक्त क्रंमाक 1 के कम्र में जिला दसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अमल में की गयी कार्यवाही दिनांक सहित।
3. अपील अधिकारी का पदनाम मय पता।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे एवं जिला रसद अधिकारी को दण्डित किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3637 दिनांक 09.06.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं विस्तृत है और कार्यालय कार्य को बाधित किये वगैर उपलब्ध करवाई जानी संभव नही होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र आरटीआई की धारा 7(9) के तहत निरस्त कर समय अवधि में पत्र सं0 3286 दिनांक 18.05.16 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 3286 दिनांक 18.05.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

> उक्त चाही गई समस्त सूचनायें विस्तृत है जो कार्यालय कार्य बाधित किये वगैर उपलब्ध करवाई जानी सम्भव नही है। सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो 30 दिवस में प्रथम अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के न्यायालय में कर सकते है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं विस्तृत होने से कार्यालय कार्य को बाधित किये वगैरा उलब्ध करवाई जाना संभव नही होने एवं सूचनाएं एकत्रित कर कार्यालय के संसाधनो को विचलित करने वाली होने से जिला रसद अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत सही रूप से अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर